

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 39/2014
संस्थित दिनांक 27.01.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड, जिला बड़वानी, मप्र

— **अभियोगी**

वि रू द्ध

सण्डीया उर्फ लोकेश पिता शिवराम धनगर,
उम्र 32 वर्ष, निवासी बैडीपुरा तलवाड़ा डेब

— **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ – श्री अकरम मंसूरी

अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक – श्री संतसंगी

—: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 23-11-2016 को घोषित)

- 1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 10/2014 के आधार पर अभियुक्त सण्डीया उर्फ लोकेश के विरुद्ध दिनांक 07.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे ग्राम तलवाड़ा डेब में मनीष पान दुकान के सामने लोक स्थान पर फरियादी कैलाश को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने तथा किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से फरियादी को मारकर उसे उपहति कारित करने के आधार पर भादवि की धारा 294, 323 का अभियोग है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे फरियादी कैलाश पिता कालु पान खाने मनीष की दुकान पर गया था, उसे पान की दुकान के पास सण्डीया मिला जिसने उसे बोला कि उसे भी पान खिला तो उसने बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं जिस पर सण्डीया उसे मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा उसने उसे गालियां देने से मना किया तो उसने उसे लकड़ी से मारपीट की जिससे उसे मुंह में निचले होट में दाहिने तरफ, पीठ पर चोट लगी घटना मनीष पान वाले तथा उंकार पान दुकान वाले ने देखी है। फरियादी कैलाश की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में उक्त अपराध क्रमांक 10/14 दर्ज कर उसे मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके आधिपत्य से एक बांस की लकड़ी जप्त कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त सण्डीया उर्फ लोकेश को भादवि की धारा 294, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

5- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 07.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे ग्राम तलवाडा डेब लोक स्थान पर फरियादी कैलाश को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उसी घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कैलाश को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की ?

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) पर सकारण निष्कर्ष -

6- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी कैलाश (अ.सा.2) का कथन है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि के 8:00 की है, वह बस स्टेण्ड पर मनीष की पान की दुकान पर पान खाने के लिए गया था, तब अभियुक्त ने उससे पान खाने के लिए 10 रुपये मांगे थे, तब उसके पास 10 रुपये नहीं होने के कारण उसने उसे 10 रुपये नहीं दिये थे, तब अभियुक्त ने हाथ में लकड़ी लेकर आया और उसके मुंह पर मार दी जिससे उसको चोट आयी, वह जमीन पर गिर गया था तब अभियुक्त ने उसके साथ लात-घुसों से भी मारपीट की थी घटना के समय मनीष पान वाला व उंकार पान वाला मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड में दूसरे दिन सुबह की थी। साक्षी को प्रदर्श पी 2 की रिपोर्ट अंगूठा निशानी होने से पढ़कर सुनाई गई तब उसने ऐसी रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसका पुलिस ने मेडिकल परीक्षण करवाया था, उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था। सुझाव

7- बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त बस एजेंटी का काम करता है और दिनभर बस स्टेण्ड पर ही रहता है। साक्षी ने अभियुक्त से विवाद बस स्टेण्ड पर होना स्वीकार किया है, साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बस स्टेण्ड पर बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि मनीष की पान की दुकान नहीं है अथवा घटना के समय वह शराब पीये हुये था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त को रुपये नहीं देने पर वह वापस चला गया

था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह चक्कर खाकर गिर गया था जिससे उसे जमीन पर पड़े हुए पत्थर से चोट आई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने उसे मुंह पर लकड़ी मारी थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट करने वह और उसकी पत्नी गये थे और पुलिस ने रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी पूर्व से अभियुक्त से रंजिश चली आ रही है अथवा रंजिश के कारण अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है।

8— मैथूबाई (अ.सा.3) का कथन है कि घटना रात्रि के लगभग 8:00 बजे की है, वह घर पर थी, उसके पति कैलाश को उसके ससुर बालू व सास कलाबाई उठाकर कर पर लेकर आये थे, तब उसके पति ने बताया था कि अभियुक्त ने 10 रूपये मांगे थे और नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की थी, उसके पति को नीचले होंठ के नीचे तथा पीठ पर चोट लगी थी। घटना के दूसरे दिन उसके पति उसे लेकर थाना अंजड पर रिपोर्ट करने गये थे।

9— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह और उसके पति पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका पति शराब पीता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद से अभियुक्त से उनकी बातचीत बंद है, लेकिन साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के पहले उनका अभियुक्त से कोई विवाद नहीं था तथा घटना उसके सामने नहीं हुई थी।

10— उंकार (अ.सा.1) तथा मनीष (अ.सा.4) ने फरियादी तथा अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। मनीष (अ.सा.4) का यह भी कथन है कि उसकी ग्राम तलवाड़ा में बस स्टैण्ड पर पान की दुकान है, लगभग डेढ़ वर्ष पहले वहां पर अभियुक्त और फरियादी के मध्य विवाद हुआ था, उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पान खिलाने की बात को लेकर अभियुक्त ने फरियादी से मारपीट की थी। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त के बचाव के लिये असत्य कथन कर रहे हैं।

11— जगदीश (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 08.01.2014 को थाना अंजड में फरियादी कैलाश पिता बालू ने अभियुक्त के विरुद्ध गाली देने और मारपीट करने के संबंध में प्रदर्श पी 2 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी को ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि फरियादी ने उसे रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा इस साक्षी ने असत्य रिपोर्ट दर्ज की है।

12— जयपालसिंह ठाकुर (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 08.01.04 को थाना अंजड के अपराध कमांक 10/14 में आहत कैलाश पिता बालू को चोटे आने पर उसने उसे प्रदर्श पी 4 के पत्र द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने फरियादी के कहने पर प्रदर्श पी 3 का नक्शा मौका बनाया था, उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, उसने अभियुक्त के पेश करने पर एक लकड़ी बांस की

प्रदर्श पी 6 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना बस स्टेण्ड की है और उसने जिन साक्षियों के कथनलिये उनके अलावा अन्य साक्षी के कथन नहीं लिये, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य कार्यवाही की है।

13- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क है कि घटना की रिपोर्ट एक दिन विलंब से की गई है तथा स्वतंत्र साक्षी उंकार (अ.सा.1) और मनीष (अ.सा.4) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, घटना का कोई भी साक्षी नहीं है तथा आहत का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर का कथन भी अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाता है।

14- यह सही है कि स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन किसी भी मामले को साबित करने के लिये स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना का समर्थन करना आवश्यक नहीं है एक मात्र साक्षी अथवा आहत के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हो तो भी उसके आधार पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है। इस मामले में कैलाश (अ.सा.2) ने अभियुक्त द्वारा उसे लकड़ी और लात-घुसों से मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। आहत की पत्नी मैथूबाई (अ.सा.3) ने भी उसके पति द्वारा घटना तत्काल बाद उसे घटना का विवरण बताने एवं उसके पति के होंठ और पीठ पर चोटे आने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों ने घटना के पूर्व अभियुक्त से कोई भी रंजिश होने से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाये जाने की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है।

15- मनीष (अ.सा.4) यद्यपि पक्ष विरोधी रहे हैं, किन्तु उक्त साक्षी का इतना कथन आवश्यक है कि उसकी पान की दुकान पर अभियुक्त और फरियादी के मध्य डेढ़ वर्ष पूर्व रात्रि के लगभग 8:00 बजे विवाद हुआ था जिससे भी अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। इस घटना की रिपोर्ट अगले दिन फरियादी ने फरियादी ने थाना अंजड़ में दर्ज कराई थी और जगदीश कलमे (अ.सा.5) ने दिनांक 08.01.2014 को फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं तथा जयपाल (अ.सा.6) ने इस अपराध की विवेचना के दौरान फरियादी को मेडिकल परीक्षण कराने के लिये भेजा था तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये गये हैं। उक्त साक्षी के कथनों का कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है उक्त दोनों साक्षियों ने लोक सेवक होते हुए इस प्रकरण में कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में **साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के प्रावधान अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि उनके द्वारा उक्त कार्यवाही नियमित रूप से की गई है**, जहां तक आहत कैलाश का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर के कथन अभियोजन की ओर से नहीं करवाये जाने का प्रश्न है, वहां अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 323 का आरोप है तथा उक्त फरियादी को उपहति को प्रमाणित करने के लिये चिकित्सक का परीक्षण करवाना

आवश्यक नहीं है, क्योंकि भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में केवल उपहृत व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या क्षति कारित होना ही पर्याप्त होता है।

16— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर कैलाश (अ.सा.2) को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया पूर्वक उपहृति कारित की जो कि भा.द.वि. की धारा 323 का अपराध है। अतः न्यायालय अभियुक्त सण्डीया उर्फ लोकेश पिता शिवराम को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) पर सकारण निष्कर्ष —

17— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी कैलाश (अ.सा.2) का केवल इतना कथन है कि अभियुक्त ने उसे मां-बहन की अश्लील गालियां दी थी, लेकिन फरियादी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गई गालियां सुनकर उसे क्षोभकारित हुआ था अथवा उक्त अपशब्द लोक स्थान पर कहे गये थे। शेष अभियोजन साक्षियों ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में भा.द.वि. की धारा 294 का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्त किश जाता है।

18— चूंकि प्रकरण का विचारण वारंट प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:

19— सजा के पश्न पर अभियुक्त और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित है, अतः तथा विवेचना के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहा है। अतः परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाए अथवा केवल अर्थदण्ड से दंडित किया जाए।

20— यह सही है कि अभियुक्त ने विचारण की शीघ्रता से सामना किया है, इस कारण प्रकरण का निराकरण जल्दी हो सका, लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से मामूली बात को लेकर फरियादी के साथ मारपीट की है उसे देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है लेकिन अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को कारावास से दंडित करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त सण्डीया उर्फ लोकेश पिता शिवराम को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध के आरोप में दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा रुपये 8,00/- अर्थदण्ड से दंडित करता है, अर्थदण्ड की राशि

जमा न करने पर अभियुक्त 15 दिन का सादा कारावास पृथक से भुगताया जाए, अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमें से उक्त 5,00/- रुपये अपील अवधि बाद आहत को प्रतिकर स्वरूप दं.पं.सं. की धारा 357 (1) के प्रावधान अनुसार प्रदान किया जाए।

21— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

22— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.